प्रेषक,

हर्ष अग्रवाल,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0 3, हाथरस।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा : माननीय जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

विषयः माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या– 9691 / IV F-82 (Pension)/ admin.A दिनांकित 16 जुलाई, 2024 के अनुपालन में शासनादेश संख्या– 14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या– 20 / 2024 / सा–3–276 / दस–2024 / 301 (1) 2024, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन करने का प्रार्थना पत्र।

आदरणीय महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग–4, संख्या–2430 / दो–4– 06–32(1) / 2001 टी.सी. 1) से हुई है। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन नं0– 957/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक 28.07.2006 को जनपद पीलीभीत अपर सिविल जज (जू0डि0) के रूप में कार्य भार ग्रहण किया था। प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22–28 नवम्बर 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं0 A-2/E-1/2003 के अन्तर्गत हुई है। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश सं0–14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या– 20 / 2024 / सा–3–276 / दस–2024 / 301 (1) 2024, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है।

माननीय महोदय को यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी इस सेवा में आने से पूर्व बतौर खण्ड विकास अधिकारी के पद पर कार्य था। प्रार्थी की नियुक्ति प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम विकास अनुभाग–1, लखनऊ के आदेश सं0 3555 / 38 –1–04–3530 / 2004 दिनांक 16.11.2004 के माध्यम से जिला शाहजहांपुर में दिनांक 03.12. 2004 में हुई थी और उपरोक्त आदेश के क्रम में प्रार्थी द्वारा बतौर खण्ड विकास अधिकारी दिनांक 03.12.2004 जिला विकास कार्यालय शाहजहांपुर में योगदान किया गया था। तत्पश्चात प्रार्थी को खण्ड विकास अधिकारी जिला बुलन्दशहर से सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर चयन एवं नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप प्रमुख सचिव, ग्राम विकास अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 3449 / 38–1–2006–3530 / 04 दिनांक 24. 07.2006 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया। इस आदेश की एक प्रति प्रार्थी को दिनांक 27.06. 2006 को प्राप्त करायी गयी। तत्पश्चात जिला बुलन्दशहर से कार्यभार छोड़ने के उपरान्त दिनांक 28.07.2006 को जनपद पीलीभीत में बतौर अपर सिविल जज (जू0डि0) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था।

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा जो सेवा बतौर खण्ड विकास अधिकारी की गयी थी, की अवधि दिनांक 03.12.2004 से दिनांक 27.04.2006 तक, वर्तमान सेवा में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2023 को माननीय

न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया था जो अभी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और पुरानी सेवा इस न्यायिक सेवा में अभी तक समायोजित नहीं की गयी है।

महोदय से यह सविनय निवेदन है कि प्रार्थी शासनादेश सं0– 14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या– 20 / 2024 / सा–3–276 / दस–2024 / 301 (1) 2024, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में इसी न्यायिक सेवा में पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल होने का इच्छुक है और इसीलिये यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी शासनादेश सं0– 14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या– 20 / 2024 / सा–3–276 / दस–2024 / 301 (1) 2024, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रहा है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

21/08/2024

दिनांक–21.08.2024

(हर्ष अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03,
जनपद हाथरस।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 6181

संलग्नक–शासनादेश सं0– 14 / 2024 / सा–3–243 / दस–2024 / 301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या– 20 / 2024 / सा–3–276 / दस–2024 / 301 (1) 2024, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु विकल्प पत्र।

Office of the District Judge, HATHRAS.
No 2257/I civil Dated 21.08.24
Forwarded To Registrar General
Hon Ble High Court at Allahabad
For Necessary Action

DISTRICT JUDGE
HATHRAS

शासनादेश सं0– 14/2024/सा–3–243 /दस–2024/301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या– 20/2024/सा–3–276 /दस–2024/301 (1) 2024, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना के चयन का विकल्प पत्र :–

<u>विकल्प–पत्र</u>

1. नाम	: हर्ष अग्रवाल, आई0डी0 नं0– यू0पी0 6181
2. वर्तमान पदनाम	: अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–03, जनपद हाथरस।
3. वेतनमान	: 1,44,840–1,94,660/– (वर्तमान वेतनमान–1,83,490/–)
4. वर्तमान विभाग का नाम	: न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	: उ0प्र0 शासन, नियुक्ति अनुभाग–4(माध्यम–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0)
6. विज्ञप्ति की तिथि	: 15.11.2003 (विज्ञापन सं0 A-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	: 26.05.2006 (संख्या 2430/दो–4–6–32)(1)/2001 टी. सी. 1 उ.प्र. शासन नियुक्ति अनुभाग 4, लखनऊ)
8. योगदान की तिथि	: 28.07.2006 (अपर सिविल जज, जू0डि0, पीलीभीत)
9. जन्म तिथि	: 12.03.1975
10. सेवानिवृत्ति की तिथि	: 31.03.2035

मैं हर्ष अग्रवाल पुत्र श्री गिरधारी लाल शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर– [signature] 21/08/2024

दिनांक–21.08.2024

नाम– हर्ष अग्रवाल,आई0डी0 नं0–यू0पी0 6181
पदनाम–अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–03, जनपद हाथरस।

<u>घोषणा–पत्र</u>

मैं हर्ष अग्रवाल, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–03, जनपद हाथरस, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– [signature] 21/08/2024

दिनांक–21.08.2024

नाम– हर्ष अग्रवाल,आई0डी0 नं0–यू0पी0 6181
पदनाम–अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–03, जनपद हाथरस।

<u>सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा</u>

श्री हर्ष अग्रवाल, पदनाम–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–03, जनपद हाथरस, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना(✓) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
हाथरस।